भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या–1788/एम–1ए 158/2017(ई–रवन्ना) दिनॉक 06-02-2020

ई–टेण्डरिंग हेतु सूचना

ई–एम0एम0–11 के माध्यम से जारी हो रहे अभिवहन प्रपत्र के वार्षिक मिलान को तैयार करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति :–

शासनादेश संख्या–1407/86–2017–107 (सामान्य)/2017 दिनांक 11 जुलाई, 2017 के अन्तर्गत प्रदेश में ई–एम0एम0–11 के माध्यम से उपखनिजों का परिवहन दिनांक 01 अगस्त, 2017 से एन0आई0सी0 द्वारा विकसित पोर्टल upmines.upsdc.gov.in के माध्यम से संचालित हो रहे हैं।

उक्त शासनादेश के कम में दिनांक 01.08.2017 के अन्तर्गत ई–एम0एम0–11 के माध्यम से हो रहे उपखनिजों के परिवहन के सम्बन्ध में लेखा से सम्बन्धित निम्न कार्य/आडिट कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए न्यनतम् दरें प्रति ट्रांजेक्शन आमंत्रित की जा रही है:–

क0सं0	कार्य का नाम
	Brief Scope of work to be done by the CA Firm
01	Verification of successful transaction
02	Reconciliation of amount desposited in treasury
03	Reconciliation of amount desposited in S.B.I Head through which money is transferred in the state treasury through Rajkosh.
04	Reconciliation of total quantity released and total amount deposited.
05	In case of un-succesful transaction, preparation of a comprehensive report.
06	The state of refund of deposit from treasury.

मुख्य तिथियां:–

1. सूचना डॉउनलोड प्रारम्भ की तिथि–	11.02.2020	समय:– 12:00 PM
2. सूचना डॉउनलोड करने की अंतिम तिथि–	26.02.2020	समय:– 01:00 PM
3. ऑफर प्रस्तुत करने की आरम्भ की तिथि–	11.02.2020	समय:– 12:00 PM
4. ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि–	26.02.2020	समय:– 01:00 PM
5. ऑफर खोल जाने की तिथि–	26.02.2020	समय:– 03:00 PM

ऑफर देने वाले की अर्हतायें (Qualification):–

i. भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय में इम्पैनल्ड हो।

ii. सी0ए0 फर्म का मुख्यालय लखनऊ में स्थित हो।

iii. फर्म में पर्याप्त पार्टनर हो तथा फर्म के पास स्किल्ड कर्मियों (कम से कम सी0ए0 इण्टरमीडिएट) का स्टाफ हो।

iv. फर्म के पास लगभग 10 वर्षो का सरकारी विभागों में कार्य करने का अनुभव हो तथा लेखे तैयार/जांच किये जाने का विस्तृत अनुभव हो।

v. सी0ए0 फर्म का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में न्यूनतम् रू0 10.00 लाख औसत का हो।

इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सहित डाटा अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिसमें उपरोक्त बिन्दु अंकित हो एवं आवश्यक वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियॉ संलग्ल हो।

शर्तें एवं प्रतिबन्धः–

1. ऑफर भूतत्व एवं खनिकर्म से सम्बन्धित है।

2. ऑफर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे तथा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पास सुरक्षित रहेगा।

3. उपरोक्त विषयक लेखों का सम्परीक्षण/प्रमाणीकरण भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सम्परीक्षण द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का शमन सी0ए0 फर्म द्वारा ही कराया जायेगा।

4. सशर्त ऑफर स्वीकार नही होंगे।

5. ऑफर प्रपत्र विभाग की वेबसाईट www.dgmup.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक सी0ए0 फर्म उक्त वेबसाईट को देखते रहें ताकि ऑफर के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त कर सके।

6. सी0ए0 फर्म के पास क्लास II का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। जिसकी सहायता से डिजिटल सिग्नेचर धारक सी0ए0 फर्म द्वारा ऑनलाइन ई–टेण्डर की वेबसाईट www.etender.up.nic.in के माध्यम से डाला जा सकता है।

7. प्रत्येक खनन क्षेत्र (माइनिंग ब्लाक) के आडिट का तात्पर्य ब्लॉक की प्रथम निविदा, पुनः निविदा जो एक से अधिक बार भी हो सकती है, सम्मिलित होगा। अनुमानित खनन क्षेत्रों/ब्लॉक की संख्या लगभग 1200 सम्भावित है। खनन क्षेत्रों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

8. प्रत्येक खनन क्षेत्र (माइनिंग ब्लाक) व जनपदवार ऑडिट की रिपोर्ट निदेशालय में प्रस्तुत की जानी होगी।

9. निविदा का आवेदन शुल्क रू0 500.00 (रू0 पांच सौ) मात्र का ड्राफ्ट अप्रतिदेय (non-Refundable) जो कि निदेशक भूतत्व एवं खनिर्म के पक्ष में देय निविदा खोले जाने से पूर्व मूल रूप में निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) के पास जमा किया जाना अनिवार्य है।

10. धरोहर की धनराशि रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट जो कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निविदा खोले जाने से पूर्व मूल रूप में निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी (DDO) को समस्त अभिलेखों सहित प्रस्तुत करना होगा।

11. न्यूनतम दरदाता सी0ए0 फर्म को नियमानुसार विभागीय शर्तों के अनुसार अनुबन्ध किया जाना होगा एवं रूपये 1,00,000.00 की धनराशि प्रतिभूति (सिक्योरिटी डिपोजिट) के रूप में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 के नाम से एफ0डी0आर0 के रूप में जमा की जानी होगी।

भवदीय

(सतीश कुमार सिंह)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
कृते निदेशक।

पत्र संख्या– /एम–1ए 158/2017(ई–रवन्ना), तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सूचना निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3. श्री सुनील कुमार अग्रवाल, प्रभारी कम्प्यूटर को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

4. निदेशालय के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु ।

(सतीश कुमार सिंह)
ज्येष्ठ खान अधिकारी
कृते निदेशक।